

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक ४-10-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री सन्त कुमार जैन, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/727/1979) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर महानगर द्वितीय के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।


आज्ञा से

-६०

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम/द्वितीय।
8. जिला कलक्टर, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
10. संबंधित अभियोजक।
11. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
12. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि